कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक: 1733 /359/आउशि/शा–5'अ'/2022 भोपाल, दिनांक 14 /12/2022

प्रति,

1. कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

2. प्राचार्य,
समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय– राज्य युवा नीति पर विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में चर्चा एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु कार्यवाही बाबत्।

—0—

उपरोक्त विषय में लेख है कि शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में युवाओं के लिए नवीन युवा नीति तैयार करने हेतु युवा नीति के घटकों (कम्पोनेट) पर सुझाव एवं विचार ज्ञात करने के लिए युवाओं से संवाद स्थापित किया जाना है।

इसी अनुक्रम में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थियों से सुझाव प्राप्त किये जाए कि वे प्रस्तावित युवा नीति में किन–किन विषयों का समावेश करवाना चाहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, रोजगार, कौशल विकास, उद्यमशीलता व सामाजिक सम्प्रेक्षण के अन्तर्गत अपनाए गए नवाचार एवं युवा नीति पर कक्षाओं में चर्चा कर ऑनलाईन /ऑफलाइन सुझाव प्राप्त किये जॉए ।

राज्य युवा नीति के विभिन्न घटकों पर सुझाव प्राप्त किये जाने हेतु प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में सुझाव पेटी रखी जाए।

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिसके दूरभाष नंबर 0755– 2551698 एवं 0755–2554763 पर कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 11.00 से 05.00 तक राज्य युवा नीति पर विचार/सुझाव दिये जा सकते हैं।

विभाग द्वारा शीघ्र ही ऑनलाईन सुझाव प्राप्त करने हेतु एक टेम्पलेट जारी किया जायेगा, जिसमें टेम्पलेट के माध्यम से विद्यार्थी ऑनलाईन सुझाव प्रेषित कर सकेंगे। इसकी सूचना पृथक से जारी की जायेगी तब तक इस सम्बंध में संस्था स्तर पर पर्याप्त विचार–विमर्श की कार्यवाही कर ली जावे।

14/12/22

(कर्मवीर शर्मा)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक: 1734 /359/आउशि/शा–5'अ'/2022 भोपाल, दिनांक 14 /12/2022

प्रतिलिपि:

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश।
2. स्टॉफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश।
3. निज सहायक, कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
4. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।

..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

14/12

आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर

विश्वविद्यालय भवन,
इन्दौर–452001

पृ.क्र :–प्रशा.विभाग/राज्य युवा नीति/2022//1150 दिनांक :– 15 DEC 2022

प्रति,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक एवं विभाग प्रमुख, समस्त अध्ययनशालाएं एवं संस्थान, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर प्रेषित है कि उपरोक्त पत्र में दिये गये निर्देशानुसार शीघ्र अतिशीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
2. विभागाध्यक्ष, आई.टी.सेन्टर, दे.अ.वि.वि., इन्दौर की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
3. माननीय कुलपतिजी के सचिव की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव

क्र.	उद्देश्य	प्राथमिकता के क्षेत्र	भावी आवश्यकतायें
6.1	एक सफल कार्यबल का गठन करना जो राज्य की अर्थव्यवस्था को विकसित करने की दिशा में स्थायी योगदान दे सके।	1. शिक्षा	(1) क्षमता एवं गुणवत्ता बढ़ाने की प्रणाली तैयार करना। (2) कौशल विकास और आजीवन शिक्षण को बढ़ावा देना।
		2. रोजगार और कौशल विकास	(1) लक्षित युवाओं तक पहुंच और जागरूकता। (2) सरकार और अन्य स्टेकहोल्डरों की भूमिका तय करना। (3) प्रणालियों और स्टेकहोल्डरों के बीच संयोजन बढ़ाना।
		3. उद्यमशीलता व सामाजिक सम्प्रेक्षण	(1) लक्षित युवाओं तक पहुंचने के कार्यक्रम। (2) क्षमता बढ़ाने के लिए प्रभावी कार्यक्रमों का दायरा विस्तृत करना (3) युवा उद्यमियों के लिए कस्टमाइज्ड कार्यक्रम तैयार करना। (4) व्यापक निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली का क्रियान्वयन।
6.2	एक ऐसी सशक्त और स्वस्थ पीढ़ी तैयार करना जो भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो।	4. स्वास्थ्य एवं स्वस्थ्य जीवन शैली	(1) सेवा प्रदायगी की स्थिति को बेहतर बनाना। (2) स्वास्थ्य, पोषण और निवारक उपायों के बारे में जानकारी। (3) युवाओं के लिए लक्षित नियंत्रण कार्यक्रम।
		5. खेल	(1) खेल सुविधाओं और प्रशिक्षण की बेहतर उपलब्धता। (2) युवाओं में खेल भावना तथा खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। (3) प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की सहायता और उनका विकास।
6.3	सामाजिक मूल्यों की भावना मन में बैठाना और राज्य की जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए सामुदायिक सेवा को प्रोत्साहित करना।	6. सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देना	(1) सामाजिक सद्भावना एवं नैतिक मूल्य की शिक्षा प्रणाली को उचित रूप देना। (2) युवा के विनियोजन कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाना। (3) नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने की शिक्षा में कार्यरत एनजीओं और गैर–लाभकारी संगठनों को सहायता।
		7.सामुदायिक विनियोजन	(1) विद्यमान सामुदायिक विकास संगठनों की सेवायें लेना। (2) सामाजिक उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। (3) पर्यावरण संरक्षण व आपदा प्रबन्धन में युवाओं को शामिल करना।

निरन्तर...2,

क्र.	उद्देश्य	प्राथमिकता के क्षेत्र	भावी आवश्यकतायें
6.4	सभी स्तरों पर नागरिकों का सहयोग लेना और उनकी भागीदारी को आसान बनाना।	8. लोकतान्त्रिक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में सहयोग।	(1) सभी स्तरों पर युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना। (2) ऐसी व्यवस्था तैयार करना जिसका युवा लाभ उठा सकें। (3) स्थानीय निकाय में युवा भागीदारी को बढ़ावा देना।
		9. युवाओं की भागीदारी	(1) युवा विकास योजनाओं की प्रभाविकता की निगरानी और उसके लिए उपाय। (2) युवाओं के विनियोजन के लिए मंच तैयार करना।
6.5	जोखिम (Risk) ग्रस्त युवाओं के लिए सहायता और लाभ से वंचित एवं सीमांत युवाओं के लिए समता–मूलक अवसर सृजित करना।	10. युवाओं का समावेशन	(1) लाभ से वंचित युवाओं को समर्थ बनाना एवं उनकी क्षमता को बढ़ाना। (2) हिंसा –ग्रस्त क्षेत्रों में युवाओं के लिए आर्थिक अवसर सुनिश्चित करना। (3) विकलांग युवाओं की मदद के लिए एक बहुसूत्री दृष्टिकोण तैयार करना। (4) युवाओं के लिए जानकारी एवं अवसर बढ़ाना।
		11. सामाजिक न्याय	(1) अनुचित सामाजिक प्रथाओं को दूर करने के लिए युवाओं को जागरूक करना। (2) सभी स्तरों पर न्याय की सुविधा बढ़ाना।